

इस्पात मंत्रालय

सरकारी खरीद में घरेलू लौह और इस्पात उत्पादों को वरीयता देने की नीति (डीएमआई और एसपी नीति) के अंतर्गत गठित स्थायी समिति का स्पष्टीकरण

Posted On: 28 JUN 2017 5:49PM by PIB Delhi

सरकार ने सरकारी खरीद में देश में बने लौह इस्पात उत्पादों को वरीयता देने की नीति को मंजूरी दी है और इसकी अधिसूचना 8 मई, 2017 को जारी की गई। भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह नीति प्रभावी हो गई है। यह नीति घरेलू स्तर पर न्यूनतम 15 प्रतिशत के मूल्य संवर्धन वाली सरकारी खरीद में स्वदेशी लौह इस्पात उत्पादों को वरीयता देने का अधिकार देती है। प्रत्येक मंत्रालय या सरकार के विभाग तथा सभी एजेंसियां अपने प्रशासनिक नियंत्रण में डीएमआई और एसपी नीति के दायरे में होंगी। यह नीति 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के लौह इस्पात उत्पादों की सप्लाई में लागू होगी। इस नीति में ऐसी सभी तरह की खरीद को समाप्त करने का प्रावधान है जहां देश में निर्दिष्ट स्तर के इस्पात उत्पाद नहीं हुए है या जहां घरेलू स्रोतों के माध्यम से परियोजना मांग के अनुसार मात्रा पूरी नहीं की जा सकती।

14-06-2017 को सचिव (इस्पात) के नेतृत्व में एक स्थायी समिति बनाई गई तािक हितधारकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण दिए जा सके। हाल में रेल मंत्रालय, ओएनजीसी लिमिटेड, भारतीय पाईप निर्माता महासंघ (आईपीएमए) तथा भारतीय सिमलैस ट्यूब निर्माता एसोसिएशन (एसटीएमएआई) ने इस नीित के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। इसके लिए स्थायी सिमिति ने 21-06-2017 को पहली बैठक में चार संगठनों द्वारा उठाए गए विषयों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गए। विषय और स्पष्टीकरण संलग्न हैं।

डीएमआई और एसपी नीति की स्थायी समिति द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण (पीडीएफ)

वीके/एजी/डीके-1874

(Release ID: 1493972) Visitor Counter: 8









In